

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

अंशुल बनाम रामनिवास

किस्म मुकदमा :- 212 रा. का. अधि. 1955

प्रकरण संख्या 10 सन् :- 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.01.24	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के खसरा नमबर 4691 रकबा 0.73 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की पुश्तैनी व सहखातेदारी की है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 अप्रार्थी संख्या 1 के विधिक वारिस है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी को बैचान करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के तर्कों पर मनन किया गया। इस स्तर पर प्रकरण के खण्डन हेतु पत्रावली पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण के कथनों पर विश्वास करते हुये व वाद बहुलता रोकने के उद्देश्य से अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख वेशी तक पाबंद किया जाता है की आराजी मुतनाजा के मौके व रेकार्ड की स्थिति यथावत रखे। कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर पेश करे।</p> <p>प्रार्थी आगामी दिनांक को अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज व आदेश की प्रति तामील का शपथ पत्र आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत आवश्यक रूप से पेश करे।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इंतजारी तलबी दिनांक 09.02.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)</p> <p>9/2/24 नवासन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 12/4/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">आदेशानुसार <i>R</i></p>	<p>513-18 16/1/24</p>

क.प. 14

मूल कोफ निस प्रोस के वतारिए किम
वा युक्त है मत। उजाबली केवल
शुमार के न निका के मय हो व
क.प.म दामर है

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

